समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या - 22/2022

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.),
छिबरामऊ कन्नौज ।

------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

परिवादी इण्डस टावर लि. द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 02.09.2022 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, जिला कन्नौज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने एकउन्ट नं. 6086467999 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है । परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संसोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

इण्डस टावर लि. झींझक, कानपुर देहात के एकउन्ट नं. 6086467999 स्वीकृत भार 13 KW का Previous Arrear & Previous Surcharge रु. 33,447/- था ।

विपक्षी ने जवाबदावा (का.सं. 3/1 ता 3/6 एवं संलग्नक का.सं. 3/7 ता 3/8) दाखिल किया है । धारा 1, 2 और 3 के कथन में कुछ नहीं कहना है । धारा 4 के कथन स्वीकार है उपभोक्ता के संयोजन 03/234 एवं एकाउन्ट आइडी 6086467999 पर विद्युत 01.09.2015 से संचालित है । धारा 5 के कथन अस्वीकार है परिवादी का पूर्व में मीटर सं. UPE 87778 स्थापित था जो कि पुराने मीटर की टर्मिनल प्लेट जल जाने के

आगे जारी है ।

कारण उपभोक्ता के यहां नया मीटर सं. 18678843 दिनांक 08.10.2020 को स्थापित किया गया जिसकी मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। धारा 6 के कथन असत्य व निराधार है किसी विद्युत संयोजन का बिल यदि त्रुटिपूर्व होता है एवं उपभोक्ता द्वारा इसकी सूचना देने पर तत्काल विद्युत बिल सही कराने की कार्यवाही की जाती है उपभोक्ता के परिसर पर लगे मीटर की रीडिंग तथा यूनिट की खपत हमेशा मीटर रीडिंग इन्ट्रूमेन्ट यानी एम. आर. आई. से निर्गत किये जाते है एम. आर. आई. मशीन से रीडिंग के बाद एप से तुरन्त बिल बनाकर उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया जाता है चूकि उपभोक्ता के परिसर पर भारी मात्रा में विद्युत खपत होने के कारण विद्युत बिल की धनराशि ज्यादा आती है। उपभोक्ता ने जो बिल अप्रैल 2022 का वाद के साथ प्रस्तुत किया है जिसमें युनिट की खपत 3444 दर्शायी गयी है विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ के अनुसार ही बिल निर्गत किया गया जिसमें धनराशि रु. 33,447/- दर्शायी गयी जो कि सही है। उपभोक्ता के परिसर पर मार्च 2022 से अगस्त 2022 तक एम. आर. आई. में दर्शायी गयी रीडिंग का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। धारा 7 और 8 के कथन में कुछ नहीं कहना है। धारा 9 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि उपभोक्ता का टावर गुरुसहायगंज सिटी में होने के कारण RAPDRP के तहत विद्युत सप्लाई की जाती है तो विद्युत बिल भी शहरी टैरिफ विद्युत अधिनियम के अनुसार ही निर्गत किये जाते है। धारा 10 के कथन में अभिलिखित किया गया है कि उपभोक्ता के परिसर का पुराना मीटर TP जल जाने के कारण दिनांक 08.10.2020 को नया मीटर सं. 18678843 स्थापित किया गया। धारा 11, 13 और 13 उपभोक्ता का अपना कथन है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाह को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ कन्नौज के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) क्या परिवादी का परिवाद कायम रहने योग्य है।

विपक्षी उपभोक्ता के संयोजन 03/234 एवं एकाउन्ट आइडी 6086467999 पर विद्युत 01.09.2015 से संचालित है परिवादी का पूर्व में मीटर सं. UPE 87778 स्थापित था जो कि पुराने मीटर की टर्मिनल प्लेट जल जाने के कारण उपभोक्ता के यहां नया मीटर सं. 18678843 दिनांक 08.10.2020 को स्थापित किया गया जिसकी मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। किसी विद्युत संयोजन का बिल यदि त्रुटिपूर्व होता है एवं उपभोक्ता द्वारा इसकी सूचना देने पर तंत्काल विद्युत बिल सही कराने की कार्यवाही की जाती है उपभोक्ता के परिसर पर लगे मीटर की रीडिंग तथा यूनिट की खपत हमेशा मीटर रीडिंग इन्ट्रूमेन्ट यानी एम. आर. आई. से निर्गत किये जाते है एम. आर. आई. मशीन से रीडिंग के बाद एप से तुरन्त बिल बनाकर उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया जाता है चूकि उपभोक्ता के परिसर पर भारी मात्रा में विद्युत खपत होने के कारण विद्युत

आगे जारी है।

बिल की धनराशि ज्यादा आती है। उपभोक्ता ने जो बिल अप्रैल 2022 का वाद के साथ प्रस्तुत किया है जिसमें युनिट की खपत 3444 दर्शायी गयी है विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ के अनुसार ही बिल निर्गत किया गया जिसमें धनराशि रु. 33,447/- दर्शायी गयी जो कि सही है। उपभोक्ता के परिसर पर मार्च 2022 से अगस्त 2022 तक एम. आर. आई. में दर्शायी गयी रीडिंग का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। उपभोक्ता का टावर गुरुसहायगंज सिटी में होने के कारण RAPDRP के तहत विद्युत सप्लाई की जाती है तो विद्युत बिल भी शहरी टैरिफ विद्युत अधिनियम के अनुसार ही निर्गत किये जाते है। उपभोक्ता के परिसर का पुराना मीटर TP जल जाने के कारण दिनांक 08.10.2020 को नया मीटर सं. 18678843 स्थापित किया गया।

(2) परिवादी ने परिवाद विपक्षी के विरुद्ध दाखिल किया है। विपक्षी की ओर से विद्युत बिल (का. सं. 5) एवं. पेमेन्ट रिसीप्ट (का. सं. 4) दाखिल किया है।

परिवादी द्वारा बिलों का भुगतान निरन्तर बिना किसी आपत्ति के साथ किया जा रहा है इससे परिलच्क्षित होता है कि वर्तमान में उपरोक्त वाद में किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं है। परिवादी द्वारा विपक्षी के यहां दिनांक 13.10.2022 को रु. 31,374/- का बिल का भुगतान कर दिया और कोई बकाया शेष नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियो में परिवादी द्वारा दाखिल वाद संतुष्टि के आधार पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा संतुष्टि के आधार पर बिल भुगतान किये जाने के कारण परिवाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

30/12/22
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 30/12/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

30/12/22
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 30/12/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति